

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

एल0ए0 संख्या 20 / 2018-19 / 250 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक - 24.11.18

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना पचकठिया (SH-18) से तालबरिया पथ (SH-18) बड़ागढ़ी एवं बरहेट (SH-18) से रक्सी लिंक पथ कुल लम्बाई - 14.082 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु, मौजा - कुण्डली, थाना - बरहेट, थाना सं0 - 40, अंचल-बरहेट, जिला-साहेबगंज में कुल-0.285 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.285 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है और जो कि मौजा - कुण्डली, थाना - बरहेट, थाना सं0 - 40, अंचल-बरहेट, जिला-साहेबगंज में है जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	157	रैयती	धानी सोयम	0.001	रामलाल केवट दी0 पे0 गणेश केवट	रक्सी 41 का सीमाना	सिमलदाव का सीमाना	P-1183	P-838
2		158	रैयती	धानी सोयम	0.005	तथैव				
3		147	रैयती	धानी सोयम	0.004	तथैव				
4	44	167	रैयती	धानी - 1	0.017	दुर्गा मरंडी दी0 पे0 वेटका मरंडी				
5	41	179	रैयती	धानी - 1	0.001	दुर्गा बेसरा दी0 पे0 भतडु बेसरा				
6		836	रैयती	बाड़ी - 1	0.009	तथैव				
7	39	814	रैयती	मकानमय	0.002	तथैव				
8		186	रैयती	बाड़ी - 2	0.008	बुधू मोहली दी0 पे0 फुचीआ मोहली (R.T)				
9		189	रैयती	बाड़ी दोयम	0.001	तथैव				
10	55	190	रैयती	धानी - 2	0.005	तथैव				
11		191	रैयती	धानी - 1	0.011	मुंशी मरंडी दी0 पे0 शिवचरण मरंडी				
12		587	रैयती	बाड़ी - 1	0.004	तथैव				
13		586	रैयती	मकानमय	0.003	तथैव				
14		807	रैयती	बाड़ी - 1	0.003	तथैव				
15		129	रैयती	धानी - 1	0.022	तथैव				
16	21	588	रैयती	मकानमय	0.001	तथैव				
17		193	रैयती	बाड़ी - 1	0.004	माईकेल मोहली दी0 पे0 लाल मोहली				
18		719	रैयती	बाड़ी - 1	0.004	मानवेल मरंडी दी0 पे0 नित्यानंद मोहली				
19	26	718	रैयती	बाड़ी अच्चल	0.009	तथैव				
20		124	रैयती	बाड़ी अच्चल	0.015	तथैव				
21	32	724	रैयती	धानी - 2	0.003	वीराजमन मरंडी पे0 वेटका मरंडी				
22		563	रैयती	बाड़ी - 1	0.003	तथैव				
23	48	591	रैयती	धानी - 2	0.002	छोटा रागदा मरंडी दी0 पे0 छोटा शामु मरंडी (R.T)				
24		590	रैयती	पोखर	0.021	तथैव				
25		821	रैयती	बाड़ी - 1	0.007	तथैव				
26	10	589	रैयती	धानी - 3	0.001	गुरुचरण राजवार दी0 पे0 जीवन राजवार (R.T)				
27		797	रैयती	धानी - 3	0.006	तथैव				
28		800	रैयती	मकानमय	0.005	तथैव				
29	28	877	रैयती	बाड़ी - 1	0.001	दुखु सोरेन दी0 पे0 टीकु सोरेन				
30		849	रैयती	धानी - 2	0.003	तथैव				

31		850	रैयती	बाड़ी - 1	0.004	तथैव			
32		868	रैयती	बाड़ी - 1	0.004	तथैव			
33		819	रैयती	मकानमय	0.001	तथैव			
34	42	876	रैयती	बाड़ी - 1	0.004	मांझी टुडू दी० पे० शावना टुडू (R.T)			
35		875	रैयती	धानी - 3	0.014	जोहन मरंडी दी० पे० पोरमे मरंडी			
36		798	रैयती	धानी - 3	0.004	तथैव			
37	56	796	रैयती	धानी - 3	0.001	तथैव			
38		874	रैयती	मकानमय	0.006	तथैव			
39		824	रैयती	मकानमय	0.003	तथैव			
40	52	869	रैयती	मकानमय	0.001	शीलहु हेम्बरम दी० पे० टुरकू हेम्बरम			
41		864	रैयती	पोखर	0.003	तथैव			
42		840	रैयती	बाड़ी - 2	0.002	मटरू टुडू दी० पे० परता मंगल टुडू			
43	25	848	रैयती	धानी - 1	0.006	तथैव			
44		828	रैयती	मकानमय	0.001	तथैव			
45	31	1182	रैयती	धानी - 3	0.001	पीथो टुडू दी० पे० धनु टुडू (R.T)			
46	53	833	रैयती	धानी - 3	0.002	शीलहु हेम्बरम दी० पे० टुरकू हेम्बरम (R.T)			
47	51	823	रैयती	धानी - 3	0.009	सगराम टुडू			
48		813	रैयती	मकानमय	0.001	बड़ा मडराई सोरेन दी० पे० साहेबराम सोरेन (R.T)			
49	40	120	रैयती	बाड़ी अब्बल	0.007	तथैव			
50		121	रैयती	धानी - 2	0.003	तथैव			
51	18	801	रैयती	मकानमय	0.001	झारू राजवार दी० पे० जरमु राजवार (R.T)			
52		794	रैयती	मकानमय	0.001	मोहन सिंह दी० पे० बुधन सिंह			
53	23	792	रैयती	धानी सोयम	0.001	तथैव			
54		793	रैयती	मकानमय	0.002	तथैव			
55	29	122	रैयती	धानी - 1	0.004	फ्रांसिस हॉसदा दी० पे० मानवेल हॉसदा			
56		123	रैयती	बाड़ी - 1	0.001	तथैव			
57	30	131	रैयती	धानी - 3	0.004	तथैव			
58	49	144	रैयती	धानी - 3	0.005	सामवेल हेम्बरम दी० पे० दाउद हेम्बरम			
59		145	रैयती	धानी - 2	0.008	तथैव			

कुल - 0.285

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X, थाना सं०-..... X, अंचल-..... X, जिला-.....
 ...X....., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानिX..... हे० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

22/11/18
 उपायुक्त,
 साहेबगंज।